(151)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/17/2581 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-2-2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त-5 इंदौर, प्रकरण क्रमांक 5/अ-12/2016-17

1-उत्तम कुमार गुप्ता श्री राधेश्याम गुप्ता,

2-जयंतीदेवी पति श्री राधेश्याम गुप्ता,

3-राधेश्याम गुप्ता पिता श्री पन्नालाल गुप्ता

4-दिनेश कुमार पिता राधेश्याम

5-सुधा पति दिनेश कुमार गुप्ता

6-प्राणेश पिता राधेश्याम गुप्ता

7-रानी पति प्राणेश कुमार गुप्ता

8-संध्या गुप्ता पति उत्तम कुमार गुप्ता

निवासीगण 146, स्नेह नगर इंदौर म.प्र.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

भीलुसिंह पिता पन्नालाल मकवाना,
निवासी ग्राम भिचौली मर्दाना,
तहसील व जिला इंदौर म0प्र0

.....अनावेदक

श्री एस०के०वाजपेयी, अभिभाषक--आवेदकगण

श्री आर०डी०शर्मा, अभिभाषक--अनावेदक

** आ दे श **

(आज दिनांक 15/2/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त-5 इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-2-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक भीलुसिंह द्वारा ग्राम सनावदिया तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 117/2, 118/2 रकबा 1.498 हेक्टेयर, 0.121 हेक्टेयर के संबंध में सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/अ-12/2016-17 दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही करते हुये दिनांक 22-2-2017 को राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षके के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 का पालन नहीं करते हुये विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि सीमांकन प्रतिवेदन पूर्णत: विधि के विपरीत होकर एकपक्षीय है क्योंकि संबंधित सर्वे क्रमांकों की भूमि की वास्तविक स्थिति का अनुज्ञान किये बगैर विवादित कार्यवाही की गई है, जो विधिअनुसार नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन के समय स्थाई सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं कर गोले कायम कर सीमांकन कार्य किया गया है, सीमांकन की समस्त कार्यवाही पूर्णत: परिकल्पना पर आधारित होने से निरस्त की जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही विधिवत होकर संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत है । सीमांकन कार्यवाही में विधिवत उभयपक्षों संहिता पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर पंचनामा, प्रतिवेदन व फील्डबुक तैयार कर स्थाई सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन

कार्यवाही विधिवत् होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी में बल नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में विसंगतियॉ है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि नक्शा कम रकबे का प्राप्त हुआ है लेकिन फिर इसको किस आधार पर तरमीम किया गया है, इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । इस तरमीम की कार्यवाही में पक्षकारों को भी नहीं सुना गया है । सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण को नोटिस की तामीली भी सही ढॅग से नहीं कराई गई । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन में स्थायी सीमा चिन्हों का उल्लेख नहीं किया गया है । अत: राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन अवैधानिक एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त-5 इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-2-2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर